सन्मार्ग
Live News & Epaper
http://www.live7tv.com

फ्लाइंग स्क्वायड्स ने कई कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण

पटना/संवाददाता। डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को फ्लाईग स्क्वायड्स द्वारा विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच में चार अधिकारी एवं 60 कर्मी अनुपस्थित पाये गये। डीएम ने सभी अनुपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों का आज का वेतन अगले आदेश तक अवरूद्ध करते हुए सभी से स्पष्टीकरण किया है। जिला-स्तर पर गठित धावा दल द्वारा जिला शिक्षा कार्यालय की जांच की गयी। इस दल में अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), स्थापना उप समाहर्ता तथा जिला कल्याण पदाधिकारी शामिल थे। धावा दल द्वारा पूर्वाह्न 10:20 बजे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना, शिक्षा) के कार्यालय की जांच की गयी। इसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एमडीएम) तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कुल 03 अधिकारी तथा 46 कर्मी अनुपस्थित पाये गये। जिला शिक्षा पदाधिकारी निरीक्षण के दौरान उपस्थित नहीं थे। जिला

कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) भी अनुपस्थित पाए गए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा) कार्यालय में उपस्थित थे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) निरीक्षण के क्रम में कार्यालय में उपस्थित हुए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एमडीएम) भी अनुपस्थित थीं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) कार्यालय में उपस्थिति पंजी एवं आकस्मिक अवकाश पंजी संधारित नहीं थी। बायोमेट्रिक उपस्थिति का आंकड़ा तथा कर्मियों का ब्योरा भी धावा दल को उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोकामा के नेतृत्व में त्रि-सदस्यीय दल द्वारा रेफरल हॉस्पिटल, मोकामा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दरम्यान प्रभारी एमओआईसी एवं 12 कर्मी अनुपस्थित पाये गये। प्रखंड विकास पदाधिकारी, दुल्हिनबाजार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुल्हिनबाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण में 02 कर्मी अनुपस्थित पाये गये। डीएम ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दास्त नहीं की जायेगी। सभी अनुपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों का आज का वेतन अगले आदेश तक अवरूद्ध करते हुए उन सभी से स्पष्टीकरण किया गया है।

मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत 22 नये लाभुकों को किया गया स्वीकृति प्रदान

पटना/संवाददाता। डीएम ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्पॉन्सरशिप योजना में 22 नये लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान की। जिला प्रशासन और जिला बाल संरक्षण इकाई, पटना के समर्पित प्रयासों के परिणामस्वरूप, अब तक 191 बच्चों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 4000 रुपया मासिक 3 वर्ष अथवा 18 वर्ष आयु तक प्रदान की जायेगी। डीएम ने बताया कि भारत सरकार के मिशन वात्सल्य, योजना अंतर्गत स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकारें और जिला प्रशासन तत्परता से कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहने और बढ़ने का अवसर प्रदान करना है, ताकि उनका विस्थापन रोका जा सके। स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान की जायेगी ताकि बच्चे अपने जैविक परिवार के साथ रह सकें और अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

गौरीचक में डिवाइडर पर चढ़ा ट्रक

फुलवारीशरीफ/संवाददाता। तेज रफ्तार से जा रहा बड़ा ट्रक अचानक पटना-गया रोड में गौरीचक थाना क्षेत्र के सोहगी मोड़ के पास डिवाइडर पर चढ़ गया। जोरदार आवाज के साथ ट्रक डिवाइडर पर जाकर फंस गया। हालांकि वह पलटने से बचा। इस बीच उसमें सवार चालक और खलासी कूद कर अपनी जान बचायी। मौके पर पहुंची गौरीचक थाना पुलिस ने चालाक खलासी से पूछताछ की। चालक सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि सड़क निर्माण में डिवाइडर और सड़क के किनारे किनारे पेंटिंग और रेडियम नहीं रहने के चलते ही उसे आभास नहीं हुआ और वह डिवाइडर पर ट्रक लेकर चढ़ गया।

शैल मेमोरियल कार्डियक सेंटर का शुभारंभ

पटना/संवाददाता। शुक्रवार को राजीवनगर में शैल मेमोरियल कार्डियक सेंटर का उद्घाटन स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पाण्डेय ने किया। वरीय हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ बीपी सिंह द्वारा स्थापित इस जांच केन्द्र में तमाम तरह के हृदय रोगों की सटीक जांच और इलाज की सुविधा ईसीजी, टीएमटी, इको, होल्टर आदि उपलब्ध रहेगा। उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों को डॉक्टर बीपी सिंह के इतने लंबे अनुभव का लाभ मिलेगा और बेहतरीन इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर प्रमुख गृह सचिव अरविंद चौधरी ने कहा कि हृदय रोग के मरीजों के लिए रियायती दरों पर डॉक्टर सिंह जैसे वरिष्ठ चिकित्सक की सेवा मिलना उनके लिए बहुत लाभकारी होगा।

अपराध की योजना बनाते अपराधी गिरफ्तार

पटना/कार्यालय प्रतिनिधि। बहादुरपुर थाने की पुलिस ने अपराध की योजना बनाते एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन और चार जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। अपराधी नालंदा जिले का रहने वाला है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी अपराध की योजना बना रहे हैं। इसके बाद टीम का गठन किया गया। टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगे इसी दौरान एक युवक को पुलिस ने धर दबोचा। इसके पास से एक पिस्टल और चार जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस गिरफ्तार अपराधी के आपराधिक इतिहास का पता लगा रही है। पूरे मामले की छानबीन में जुटी है।

14 को एसकेएम में होगा 51 जोड़े का सामूहिक विवाह

पटना/संवाददाता। मां वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा 14 जुलाई को 51 जोड़े का सामुहिक विवाह कराया जायेगा। यह जानकारी मां ब्लड सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के सचिव एवं कार्यक्रम संयोजक कन्हैया अग्रवाल (कन्नू) ने दी। अग्रवाल ने बताया कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रविवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होने जा रहे "एक विवाह ऐसा भी" के 12 वें संस्करण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की मौखिक स्वीकृति प्रदान कर मानवता का मान बढ़ाया है।

शांति समिति की बैठक

खुसरूपुर/संवाददाता। मुहर्रम को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर शुक्रवार को थाना पर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता फतुहा एसडीपीओ 2 पंकज कुमार ने की। बैठक में क्षेत्र के राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ,जनप्रतिनिधियों तथा दोनों समुदाय के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में सवार्नुमति से शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीपीओ ने कहा कि यहां हर पर्व त्योहार मिल जुलकर सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में मनाने की परंपरा रही है। हमें उस परंपरा को कायम रखना है।

किसान की गोली मारकर हत्या

बिहटा/संवाददाता। शुक्रवार को बिहटा थानाक्षेत्र के इटवा दोघरा गांव के खेत में बाइक सवार अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की खबर सुन परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक व्यक्ति की पहचान दोघरा निवासी रामाधार यादव के 35 वर्षीय पुत्र अंजीत कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीएसपी पंकज मिश्रा एवं स्थानीय थानाध्यक्ष राजकुमार पांडेय, दल बल के साथ पहुंच शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गये है।

किसानों को बांटे गये बीज

बाढ़/संवाददाता। बाढ़ प्रखंड के पंचायतों में किसानों के बीच बीजों का वितरण किया गया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि बाढ़ व पंडारक प्रखंडों के पंचायतों के किसानों को सरकार द्वारा दी जानेवाली सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रखंड कृषि समन्वयक एवं नोडल पदाधिकारी कंचन सोनी ने बताया कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिये प्रेरित किया जाता है।

टायर के गोदाम में लगी भीषण आग

लाखों की संपत्ति जलकर राख

कंकड़बाग थाना क्षेत्र के एलएन टावर अपार्टमेंट की घटना

पटना/कार्यालय प्रतिनिधि। कंकड़बाग थाना क्षेत्र के एलएन टावर अपार्टमेंट में आग लग गयी। फायर ब्रिगेड की करीब 12 गाड़ियों ने डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दो लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दोनों सुरक्षित हैं। आग लगने की वजह से लाखों रुपये की संपत्ति खाक हो गयी है। फायर ऑफिसर मनोज कुमार नट के मुताबिक आग अपार्टमेंट के ऑटो पाट्र्स के गोदाम में आग लगी थी। आग काफी भयावह रूप ले चुकी थी। अपार्टमेंट के अंदर फंसे लोग किसी तरह बाहर निकले। लेकिन ऊपरी तल पर एक अधेड़ फंस गया था। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला। कोई व्यक्ति आहत नहीं हुआ है। राज्य अग्निशमन पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि कंकड़बाग के एलएन टावर में आग लगी थी। आग पर काबू पाना काफी चुनौतीपूर्ण था। क्योंकि बगल में एक पेट्रोल पंप भी था। आग पर काबू पा लिया गया है। बहुमंजिला इमारत है। इसी के फ्लैट में अवैध तरीके से रबड़ को स्टोरेज कर के रखा गया था। इसी में आग लगी। लापरवाही को लेकर बिल्डिंग के रख -रखाव की जांच करायी जायेगी। इस आगलगी की घटना में जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है।

कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए बच्चों को गोद लें : डीएम

पटना/संवाददाता। डीएम ने आम जनता से अपील की है कि वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए बच्चों को गोद लें और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएं। उन्होंने कहा कि जिला बाल संरक्षण इकाई , बाल कल्याण समिति और अधिकृत एजेंसियां इस प्रक्रिया में मदद के लिए उपलब्ध हैं। डीएम ने शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दत्तक ग्रहण के संबंध में जारी मार्गदर्शिका 2022 के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए बिहार राज्य का पहला रिश्तेदारी दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया। पूर्व में, दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया परिवार न्यायालय के माध्यम से पूर्ण होती थी, परंतु किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2021 द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए अंतिम आदेश निर्गत करने के लिए जिलाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। इस परिवर्तन से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में हो रहे अनावश्यक विलंब से बचा जा सकेगा। पहली बालिका को, जिसे मात्र 15 दिन की आयु में खगौल, दानापुर, पटना से रेस्क्यू कर प्राप्त किया गया था, तेलंगाना के दंपती ने गोद लिया। दूसरी बालिका, जिसे मात्र 03 दिन की आयु में खगौल से रेस्क्यू कर प्राप्त किया गया था, उसको बंगलौर के दंपती ने गोद लिया।

ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन करें अमीन : डीएम

हाजीपुर/संवाददाता। जिले में नवनियुक्त विशेष सर्वेक्षणअमीनों का शुक्रवार को बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान (बीका), हाजीपुर में शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद डीएम यशपाल मीणा ने कहा कि सभी प्रशिक्षण पूरी लगन और ध्यान से प्राप्त करें और अपने कर्तव्य और दायित्व का ईमानदारी पूर्वक एवं समयबद्ध तरीके से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि सभी को ट्रेनिंग हैंडबुक भी उपलब्ध करायी जा रही है। किताब और ट्रेनिंग में बतायी जा रही बातों को ध्यान से पढ़े-सुनें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान नियम-कानून की भी जानकारी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि जब आप ट्रेनिंग के बाद अपने कार्य में जुटे तो आपकी मनसा ठीक रहना जरूरी है। भू सर्वेक्षण का कार्य ईमानदारी के साथ त्वरित गति से संपादित करना होगा। शुक्रवार को बीका में जिला स्तर पर 80 अमीनों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति सभागार, हाजीपुर में 80 एवं प्रखंड सभागार, गोरौल में 80

अमीनों का व्यवहारिक प्रशिक्षण शुरू हुआ। विदित है कि 3 जुलाई को बीका में हीं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो, लिपिक के साथ अमीनों के बीच नियोजन पत्र का वितरण हुआ था। 4 से 10 जुलाई तक 285 अमीनों ने वैशाली जिला में योगदान दिया है। इनका ही फेजवाइज सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के उद्घाटन समारोह में अपर समाहर्ता बिनोद कुमार सिंह, बीका के निर्देशक नीरज झा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षकगण भी उपस्थित थे।

कल रद्द रहेगी पटना-सीएसएमटी, मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस

पटना/संवाददाता। रेलवे द्वारा परिचालनिक सुगमता के लिए अकोला-रतलाम रेलखंड के आमान परिवर्तन कार्य के मद्देनजर खंडवा स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग के नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण छह गाड़ियों का परिचालन रद्द, कई का मार्ग परिवर्तन तथा कई नियंत्रित कर चलायी जायेगी। इसकी जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी। उन्होंने बताया कि पटना से 14, 17 एवं 21 जुलाई को खुलने वाली 82355 पटना-सीएसएमटी, मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा। वहीं सीएसएमटी, मुंबई से 16, 19 एवं 23 जुलाई को खुलने वाली 82356 सीएसएमटी, मुंबई-पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा।

रेलकर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

पटना/कार्यालय प्रतिनिधि। रेलकर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर पटना जंक्शन पर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना को खत्म करने और देश भर में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। प्रदर्शन ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले किया गया। इसका नेतृत्व यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष एसएसडी मिश्रा ने किया। एसएसडी मिश्रा ने कहा कि 1960 में 11 जुलाई को हड़ताल हुई थी। उस हड़ताल में हमारे पांच लोगों की मौत हुई थी। रेल कर्मचारी मारे गए थे। उसकी याद में हमलोग 12 जुलाई को उनकी याद में कर्मचारियों को प्रेरित करते रहते हैं। उन्हें बताते हैं, आंदोलन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आंदोलन का अभी जो मुख्य मुद्दा है, वो नई पेंशन योजना खत्म कर पुरानी गारंटी पेंशन योजना लागू करने को लेकर है। इसको हमलोग आगे बढ़ा रहे हैं। 10 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 लाख से अधिक रेल कर्मचारी इकट्ठा होकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। नई पेंशन योजना का विरोध किया।

46 ट्रेनों में 92 सामान्य श्रेणी के कोच लगाये गये

पटना/संवाददाता। सामान्य श्रेणी के यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे ने 46 विभिन्न महत्वपूर्ण लंबी दूरी की ट्रेनों में कोचों की संख्या में विस्तार किया है। इसकी जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी। उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों में 92 नये सामान्य श्रेणी के कोच लगाये गये हैं। इसके अलावा 22 अन्य ट्रेनों की भी पहचान की गयी है और उनमें अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच लगाने की योजना बनायी गयी है। उन्होंने बताया कि 15634-15633 गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस, 15631-15632 गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस, 15630-15629 सिलघाट टाउन तांबरम नागांव एक्सप्रेस, 15647-15648 गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, 15651-15652 गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल है।

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

kotak Kotak Mahindra Bank

कब्जा सूचना

पंजी.कार्या.: 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (ई), मुम्बई, पिन कोड: 400051, शाखा कार्या.: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 7वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर – 125, डेल कैंपस के पास, नोएडा, उ.प्र. – 201313.

जबकि, अधोहस्ताक्षरी **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के साथ पठित सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 ने उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया, जैसा कि नीचे विस्तृत है, संबंधित उधारकर्ताओं को 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए कहा गया है। उसी की प्राप्ति की तिथि से उक्त ऋणी / सह–उधारकर्ता (ओं) द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उस पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के आर / डब्ल्यू नियम 8 के साथ–साथ उल्लिखित तिथियों पर उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम तौर पर सार्वजनिक रूप से सावधान किया जाता है कि वे संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसमें भविष्य के ब्याज, लागत और संबंधित तिथियों से शुल्क शामिल होंगे। सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। धारा 13(2) के तहत उधारकर्ताओं, अनुसूचित संपत्ति, बकाया राशि, मांग नोटिस का विवरण और उसके तहत दावा की गई राशि, कब्जे की तिथि नीचे दी गई है:

ऋणी का नाम और पता, सह–ऋणी, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि	अचल संपत्ति का विवरण	1. कब्जे की तिथि 2. कब्जे का प्रकार 3. मांग सूचना दिनांक 4. देय राशि रु.
मनीष कुमार और रजनीश कम्युनिकेशन पता: वार्ड नंबर 3, रजनीश कम्युनिकेशन जगदर बेगूसराय, बिहार, 851127. अनुजकुमार यादव पता: जादगर, बेगूसराय, बिहार, 851127. ऋण खाता संख्या: V51BLSFN936054 ऋण राशि: रु. 7,19,000 /–(रूपये सात लाख उन्नीस हजार मात्र)	अचल संपत्ति का वह पूरा भाग व अंश, वह भूमि का भाग आवासीय प्रकृति का है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.7 दशमलव है, मौजा: जगदर में, जो बीरपुर अंचल – बीरपुर, जिला – बेगूसराय, थाना संख्या: 467, बीरपुर तौजी संख्या 2559, प्लॉट संख्या 313, खाता संख्या 115 पर स्थित है। बंधककर्ता का नाम: अनुज कुमार यादव	1. 11.07.2024 2. प्रतीकात्मक कब्ज़ा 3. 29.12.2023 4.रु.9,48,291 /–(रुपये नौ लाख अड़तालीस हज़ार दो सौ इक्यानवे मात्र) 09.11.2023 तक देय और भुगतान योग्य, 10.11.2023 से पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज के साथ।

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री अरविंदकुमार तिवारी (मोबाइल नंबर +919810698044) और श्री शैलेंद्र सिंह (मोबाइल नंबर +919811638929) से संपर्क करें।

स्थान: बिहार, दिनांक: 13.07.2024 अधिकृत अधिकारी: कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

ट्रेन से कटकर युवती की मौत

पटना/कार्यालय प्रतिनिधि। घर से सब्जी लेने निकली युवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना पटना साहिब स्टेशन के नजदीक की है। युवती की मौत के बाद परिवार के बीच मातमी सन्नाटा पसर गया। पटना साहिब जीआरपी ने मृतक युवती का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस तरह ट्रेन के सामने आकर युवती की मौत हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि युवती ने खुद ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली है।

राजस्व कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश

हाजीपुर/संवाददाता। म्यूटेशन के लिए वर्षो से मामले को लटकाने और इसके लिए पैसा मांगने की शिकायत आने पर डीएम यशपाल मीणा ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए हाजीपुर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी संजय कुमार पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आदेश के बाद अंचलाधिकारी हाजीपुर ने सदर थाना में हल्का कर्मचारी संजय कुमार और उसके बिचौलियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।विदित हो कि संजय कुमार दिग्घी कला (पूर्वी), दिग्घी कला(पश्चिमी) तथा बिशनपुर बालाधारी के हल्का कर्मचारी है। इस हल्का कर्मचारी के विरुद्ध जिला प्रशासन को बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी। शुक्रवार को जनता दरबार में आवेदक ठाकुर सोनू कुमार सिंह का आवेदन और उसके साथ दो वीडियो क्लिप प्राप्त होने के बाद तत्क्षण डीएम ने इसे जांच के लिए हाजीपुर के सीओ को आदेश दिया।

रत्नों को चमकाने में टिशू पेपर या पेपर टॉवल के उपयोग से बचें

पटना/सं। मौसम की नमी और उमस रत्नों की चमक में बाधा डाल सकती है। चमकते हीरे बारिश के दौरान अपनी चमक और सुंदरता खो सकते हैं और लंबे समय तक सुंदर और सुरुचिपूर्ण बने रहने के विशेषाधिकार का आनंद लेने के लिए अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। डी बीयर्स फॉरएवरमार्क ने कीमती रत्नों की चमक को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञ सुझाव साझा किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर हीरे के गहने बारिश में भीग जाते हैं, तो उन्हें मुलायम, लिंट-फ्री कपड़े से धीरे से थपथपाकर सुखाएँ। टिशू पेपर या पेपर टॉवल का उपयोग करने से बचें जो सतह को खरोंच सकते हैं। हेयर ड्रायर का उपयोग करने की इच्छा का विरोध करें, क्योंकि गर्मी सेटिंग को नुकसान पहुँचा सकती है। अपने हीरों को स्टोर करने से पहले उन्हें पूरी तरह से हवा में सूखने दें। अपने ज्वेलरी सिलिका जेल पाउच के साथ अच्छी तरह हवादार बैग में रखें। ये आसान पैकेट अतिरिक्त नमी को सोख लेते हैं, जिससे आपके हीरों पर परत नहीं जमती। हीरे के आभूषणों के प्रत्येक टुकड़े को एक दूसरे से खरोंचने से बचाने के लिए एक अलग डिब्बे या थैली में रखें। अपने हीरे को धूल, नमी और मानसून के मौसम में होने वाली आकस्मिक टक्कर से बचाने के लिए हार्ड कवर के साथ एक मजबूत ज्वेलरी बॉक्स रखें।

फाइलेरियामुक्त पंचायत में पंचायती राज पदाधिकारियों की भूमिका अहम : डॉ परमेश्वर

13 जिलों के साढ़े तीन करोड़ लोगों को खिलाई जायेंगी फाइलेरियारोधी दवाएं

पटना/संवाददाता। इस वर्ष 10 अगस्त से सर्वजन दवा सेवन के दूसरे राउंड की शुरुआत हो रही है। इसमें 13 जिलों (बक्सर, भोजपुर, दरभंगा, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी,नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास और समस्तीपुर) के चिन्हित प्रखंडों में सर्वजन दवा सेवन अभियान चलेगा, जिसमें करीब तीन करोड़ 50 लाख लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जायेगी। ये बातें अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, फाइलेरिया डॉ परमेश्वर प्रसाद ने शुक्रवार को जिला पंचायती राज पदाधिकारियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 13 जिलों में से पांच जिलों में डीईसी, अल्वेंडाजोल एवं आइवरमेक्टिन तथा शेष जिलों में डीईसी और अल्वेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। किसी

भी परिस्थिती में दवा का वितरण न हो, स्वास्थ्यकर्मी अपने सामने दवाओं को खिलाएं। जिला पंचायती राज पदाधिकारियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अपने जिले की लक्षित आबादी को दवा सेवन सुनिश्चित कराकर फाइलेरिया मुक्त पंचायत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इसके अलावा हर स्तर पर एमडीए अभियान को लेकर प्रचार प्रसार करें। डॉ प्रसाद ने कहा कि फाइलेरिया पेशेंट सपोर्ट नेटवर्क की भूमिका भी एमडीए की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

ICICI Home Finance

कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059, भारत

शाखा कार्यालय: 4वीं मंजिल, 401, कनक ब्रजराज कॉम्प्लेक्स, ढक्कनपुरा, कवि रमन पथ, पटना- 800001

[नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नोटिस

वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 की धारा 13(2) के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पढ़ें।

आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार(ओं) और गारंटर(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/प्रभारित है, जिसका **प्रतीकात्मक कब्ज़ा** आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है , "जहां है, जैसा है", "जो है, जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी, जैसा कि नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण में बताया गया है;

क्र. सं.	कर्जदार(ओं) / सह-कर्जदार /गारंटर/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम। ऋण खाता संख्या	सुरक्षित संपत्ति(ओं) का विवरण ज्ञात बोझ सहित, यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / बयाना राशि जमा	संपत्ति धन निरीक्षण के दिनांक और समय	नीलामी की दिनांक और समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	खुशबु देवी (कर्जदार) राजेश गुप्ता(सह-कर्जदार) ऋण खाता संख्या LHPTN00001408852 और LHPTN00001408853	मौजा शाहपुर, महल्ला अंदर नगर,वार्ड नं 11 थाना शाहपुर, थाना नं 54 खाता नं 792, प्लॉट /खेसड़ा नं 6095(पी) जिला-आरा, भोजपुर मे स्थित आबासिक भवन	रुपये 11,79,889/- जूलाई 02, 2024	रुपये 21,65,400/- / रुपये 2,16,540/-	अगस्त 05, 2024 11:00 पूर्वाह्न 03:00 अपराह्न	अगस्त 14, 2024 02:00 अपराह्न 03:00 अपराह्न
2.	प्रवीण कुमार (कर्जदार) मीरा देवी(सह-कर्जदार) ऋण खाता संख्या LHPTN00001486649 LHPTN00001486651	खाता संख्या 124 (नया)/56 (पुराना), प्लॉट संख्या 639 (नया)/ 457 (पुराना), महल्ला - चंदौती, थाना नं 180, वार्ड संख्या 29, जिला-गया,बिहार	रुपये 24,02,929/- जूलाई 02, 2024	रुपये 37,94,400/- / रुपये 3,79,440/-	अगस्त 05, 2024 11:00 पूर्वाह्न 03:00 अपराह्न	अगस्त 14, 2024 02:00 अपराह्न 03:00 अपराह्न
3.	विजय कुमार अग्रवाल (कर्जदार) राज किशोर अग्रवाल,नंदलाल अग्रवाल (सह-कर्जदार) ऋण खाता संख्या LHPTN00001521019 और LHPTN00001521021	प्लॉट संख्या 1857 (भाग),थाना संख्या 37 खाता संख्या 31,36 ओर 274 होल्डिंग संख्या वार्ड संख्या - 70/55/36/31 शीट संख्या 274, सार्केल संख्या 223 मौजा नगाला, थाना - मालसलामी, जिला-पटना	रुपये 53,83,745/- जूलाई 02, 2024	रुपये 53,55,000/- / रुपये 5,35,500/-	अगस्त 05, 2024 11:00 पूर्वाह्न 03:00 अपराह्न	अगस्त 14, 2024 02:00 अपराह्न 03:00 अपराह्न

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी **ग्लोब टेक** की वेबसाइट **(यूआरएल लिंक- https://BestAuction Deal.com)** पर आयोजित की जाएगी। बंधककर्ताओं/नोटिस को **13 अगस्त, 2024 को शाम 05:00** बजे से पहले अतिरिक्त ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है अन्यथा इन सुरक्षित परिसंपत्तियों को उपरोक्त अनुसूची के अनुसार बेचा जाएगा।

संभावित बोलीदाता(ओं) को बयाना राशि जमा (EMD) RTGS/डिमांड ड्राफ्ट (DD) (कॉलम ई देखें) **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, चौथी मंजिल, 401, कनक ब्रजराज कॉम्प्लेक्स, ढक्कनपुरा, कवि रमन पथ, पटना- 800001** पर या **13 अगस्त, 2024 को शाम 04:00** बजे से पहले जमा करवाना होगा। संभावित बोलीदाता(ओं) को पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम व शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, चौथी मंजिल, 401, कनक ब्रजराज कॉम्प्लेक्स, ढक्कनपुरा, कवि रमन पथ, पटना- 800001** पर या **13 अगस्त, 2024 को शाम 05:00** बजे से पहले जमा करवानी होगी। बयाना जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से **"आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड- नीलामी"** के पक्ष में **भोजपुर, गया ,पटना** में देय होना चाहिए।

निरीक्षण, नीलामी की शर्तों और नियमों या निविदाओं के प्रस्तुतीकरण के संबंध में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300** पर या **हमारे बिक्री और विपणन भागीदार नेक्सएक्सन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड** से संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी बिना कोई और कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **https://www.icicihfc.com** पर जाएँ।

अधिकृत अधिकारी

दिनांक: 13 जुलाई, 2024

स्थान: भोजपुर, गया ,पटना

आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

CIN Number- U65922MH1999PLC120106